Dr. Chiranjeev Kr Thakur
Assistant Professor (GT)
Department of Sociology
VSJ College Rajnagar

BA Part II (Hon/Sub)

Lecture I

घरेलू हिंसा (Domestic Violence) => भारतीय समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कन्या विवाह पश्चात अपने पति के यहां निवास करती है और जहतत्व जीवन में अपने पति बच्चों और उनके परिवार के साथ जीवन यापन करती है। प्राचीन काल में स्त्री एवं पुरुष में किसी तरह का कोई भेद नहीं था सभी का कार्य विभाजन निश्चित था। जैसे जैसे समाज का विकास होता गया लैंगिक असमानता का युग प्रारम्भ हो गया। घरेलू हिंसा भी लैंगिक असमानता का एक विशिष्ट उदाहरण है। घरेलू हिंसा से तात्पर्य पुरुष द्वारा अपने स्त्री या साथी के साथ सहवास

2020-7-9 17:30

अथवा विवाह सम्बन्धों के बाद मारपीट, दुर्व्यवहार करना है। घरेलू हिंसा न केवल विपरीत लिंगों के साथ दुर्व्यवहार बल्कि समलैंगिक संबंधों में भी हो सकता है। परन्तु वास्तव में घरेलू हिंसा मुख्य रूप से स्त्री के प्रति हिंसा ही है।

घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, "किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, मौखिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारस्परिक सम्बन्ध हैं, घरेलू हिंसा है"

घरेलू हिंसा में पत्नी, सहवासी साथी, मुख्य रूप से आती हैं।

2020-7-9 17:30